



आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479 कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: <u>rswm.investor@lnjbhilwara.com</u>; वेवसाइट: <u>http://www.rswm.in</u>

आम बैठक, रिमोट ई-वार्षिक -वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

17 अगस्त, 2023 को जारी किए गए हमारे समाचार—पत्र के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड **("कम्पनी")** की **62वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को 2:00 बजें अपराह्व** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **('ओएवीएम')** के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 62वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा—311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए")** ने अपने परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, अपने पहले के परिपत्रों (परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 क्रमशः तथा उसके पश्चात् परिपत्र 02/2021, 21/2021 एवं 02/2022 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 और साथ ही भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अपने विभिन्न परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) (सामृहिक रूप से **"लागू परिपत्रों"** के रूप में संदर्भित) के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो काँनफ्रोंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("वीसी/ओएवीएम")** के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी का 62वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अतः सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी के 62वीं एजीएम की सुचना एवं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों

की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 22 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई हैं। सदस्यों को 62वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है। कम्पनी के 62वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.rswm.in</u> पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देशः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ

और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 62वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई—वोटिंग∕ के साथ एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित रखने वाले शेयरधारक एवं ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है। कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 9 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक** वार्षिक समापन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु अनुशंसित लामांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश से बंद रहेंगे।

वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या **कट—ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर, 2023** के अनुसार डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेत् अधिकृत होगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि मंगलवार, 12 सितम्बर, 2023 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 को 5:00 बजे अपराह्न

८ सितम्बर, २०२३ की कट—ऑफ तिथ्य के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्*ड* रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना

समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों के नाम **शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023** अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर⁄लाभार्थियों की सूची में प्रदर्शित हो, को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए रुपये 10 / – प्रत्येक अंकित मूल्य के समता शेयर पर रुपये 5 / – (50%) प्रति समता शेयर के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि 62वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। सदस्यों के वोटिंग का अधिकार **कट—ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023** को कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी हिरसेदारी के अनुपात में

होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों / लाभार्थियों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीँ रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु **कट—ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023** के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट संख्या / फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 62वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 62वीं एजीएम सूचना

में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेयरधारिता किम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड),** एफ–65, के मामले में

प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज—I, नई दिल्ली—110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <u>helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</u> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि

(स्वप्रमाणित), च) शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे) बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:

क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लामांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड

संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई–वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री महेश कुमार गुप्ता, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या

एफसीएस 2870), मेसर्स महेश कुमार गप्ता एंड कम्पनी, की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। www.rswm.in

दौरान ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पह पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि अर्थात् 15 सितम्बर, 2023 को पारित माना जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 **("आईटी अधिनियम, 1961")**, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाते समय स्रोत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग–अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस

दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **बृहस्पतिवार, 31 अगस्त, 2023 को या उससे पूर्व** आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें।

अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज / घोषणाएं कम्पनी को tds.rswm23@Injbhilwara.com पर / कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो। आयकर अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं / दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए

अपनाई जाने वाली प्रासंगिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 21 जुलाई, 2023 को सभी शेयरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संचार भेजा गया है एवं उक्त संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध हैः <u>https://www.rswm.in/Intimation-Communication-</u>

of-TDS-on-Dividend.

प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडीः evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **एजीएम की सूचना में** लाभांश टीडीएस संचार से संबंधित **नोट नं. 26 संदर्भित करें।** किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQ) एवं शेयरधारकों हेतु ई—वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022—4886 7000 एवं 022—2499 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे,

> मंडल के आदेशानुसार कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड हास्ता / -

सुरेन्दर गुप्ता वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव

एफसीएस-2615

दिनांकः 22 अगस्त, 2023

स्थानः नोएडा (उ.प्र.)